# कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला- सीधी (म.प्र.)

सीधी, दिनांक 27/11/2026

## अधिसूचना

क्रमांक 1429/भू–अर्जन/2026 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (पृष्ठ क्रमांक 31) की धारा-43 (1) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन प्रशासक के रूप में अपर कलेक्टर, जिला- सीधी (म.प्र.) को सीतापुर-हनुमना सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के निर्माण से तहसील- गोपदबनास, बहरी, सिहावल एवं चुरहट, जिला- सीधी से प्रभावित होने वाले ग्रामों में होने वाले भू-अर्जन के कारण होने वाले गैर स्वैच्छिक विस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है|

अत:अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोपदबनास, बहरी, सिहावल एवं चुरहट जिला- सीधी एवं कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.) समुचित सहयोग करेगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेगे।

(विकास मिश्रा)
27.11.26
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग
जिला- सीधी(म.प्र.)
सीधी, दिनांक- 27-11-2026

पृष्ठा0 क्रमांक-1430/भू-अर्जन/2026/

प्रतिलिपि-

1 नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्य प्रदेश, मैदामिल भोपाल की ओर अगेषित । कृपया अधिसूचना का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र भाग- 1 के आगामी अंक में कराया जाये।

2 अपर संचालक (विज्ञापन), जन संपर्क संचालनालय, जन संपर्क भवन, बाणगंगा, भोपाल की ओर दो दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशन हेतु अगेषित।

3 कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा की ओर दो प्रतियों में अग्रेषित कर लेख किया जाता है कि, सूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

4 अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोपदबनास, बहरी, सिहावल एवं चुरहट जिला- सीधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5 जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर, कलेक्ट्रेट सीधी को यह अधिसूचना कलेक्ट्रेट सीधी की बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर 27.11.26
जिला- सीधी (म.प्र.)